

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग
सकारण आदेश

संवेदक राजेन्द्र सिंह(निबंधन संख्या 2240252/2180095, पैन संख्या- DHIPS0072J) वार्ड-05, ग्राम-मंजुरा, पो0-लगमा, जिला-मुंगेर, बिहार, पिन-811213 द्वारा ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल भागलपुर के अधीन शीर्ष 3054 योजनान्तर्गत पथ 1. कमालपुर से हाजीपुर एवं 2. कैलापुर से मलमला तक पथ निर्माण कार्य कार्यपालक अभियंता, पथ निर्माण विभाग, पथ प्रमंडल गोपालगंज द्वारा निर्गत अनुभव प्रमाण पत्र के आधार पर आवंटित किया गया।

उक्त कार्य आवंटित किये जाने के उपरांत संवेदक द्वारा निर्माण कार्य किया जा रहा था, इसी बीच संवेदक द्वारा समर्पित उक्त अनुभव प्रमाण पत्र का सत्यापन के क्रम में कार्यपालक अभियंता, पथ निर्माण विभाग, पथ प्रमंडल गोपालगंज का पत्रांक 736 अनु0 दिनांक 15.07.2024 द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि संवेदक द्वारा समर्पित अनुभव प्रमाण-पत्र उनके कार्यालय से निर्गत नहीं किया गया है।

तदालोक में कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल भागलपुर का पत्रांक 2454 दिनांक 06.12.2024 द्वारा एकरारनामा विखंडित करते हुए संवेदक को कालीकृत किये जाने हेतु अनुशंसा की गई। उक्त अनुशंसा के आलोक में विभागीय पत्रांक 8474 दिनांक 26.12.2024 द्वारा संवेदक से कारणपृच्छा की गई।

संवेदक राजेन्द्र सिंह द्वारा दिनांक 14.01.2025 को समर्पित स्पष्टीकरण में उल्लेख किया गया कि उनके पिताजी द्वारा भुलवश निविदा में गलत अनुभव प्रमाण-पत्र अपलोड कर दिया गया था। उनके पिताजी का वर्ष 2023 में निधन हो गया है। उनके द्वारा निविदा में गलत कागजात अपलोड किये जाने के संबंध में उन्हें पहले से जानकारी नहीं थी। पथ में एकरारित अनुरक्षण कार्य भी उनके द्वारा किया जा रहा था।

संवेदक द्वारा फर्जी तरीके से तैयार किये गये अनुभव प्रमाण-पत्र के आधार पर निविदा प्राप्त करने के उपरांत यह कहना कि निविदा में गलत कागजात अपलोड करने की जानकारी उन्हें नहीं थी, स्वीकार योग्य नहीं है।

उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में संवेदक राजेन्द्र सिंह(निबंधन संख्या 2240252/2180095, पैन संख्या- DHIPS0072J) वार्ड-05, ग्राम-मंजुरा, पो0-लगमा, जिला-मुंगेर, बिहार, पिन-811213 द्वारा कार्य प्रमंडल भागलपुर के अधीन शीर्ष 3054 योजनान्तर्गत पथ निर्माण हेतु आमंत्रित निविदा में फर्जी अनुभव प्रमाण-पत्र के आधार पर कार्य प्राप्त करने संबंधी आरोपों को प्रमाणित पाते हुए बिहार ठिकेदारी निबंधन नियमावली 2007 (ग्रामीण कार्य विभाग) के नियम 11(क)(ix) में विहित प्रावधान के तहत 04(चार) वर्षों के लिए कालीकृत (Blacklist) किया जाता है।

ज्ञापांक:-14/अ0प्र0-03-207/2024

6232

(सिमल कुमार)

अभियंता प्रमुख

/पटना, दिनांक:- 18/12/25

प्रतिलिपि:-अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव, पथ निर्माण विभाग, भवन निर्माण विभाग/जल संसाधन विभाग/लघु जल संसाधन विभाग/योजना एवं विकास विभाग/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/नगर विकास एवं आवास विभाग/उर्जा विभाग/कृषि विभाग/पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग/भवन निर्माण विभाग/जल संसाधन विभाग/लघु जल संसाधन विभाग/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(सिमल कुमार)

अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक:- 14/अ0प्र0-03-207/2024 6232 /पटना, दिनांक:- 18-6-25
 प्रतिलिपि:-अपर मुख्य सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/सभी
 मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/सभी अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/सभी
 कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/सभी नोडल पदाधिकारी (मु0), ग्रामीण कार्य विभाग को
 सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक:- 14/अ0प्र0-03-207/2024 6232 /पटना, दिनांक:- 18-6-25
 प्रतिलिपि:-आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई
 हेतु प्रेषित।

अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक:- 14/अ0प्र0-03-207/2024 6232 /पटना, दिनांक:- 18-6-25
 प्रतिलिपि:- राजेन्द्र सिंह(निबंधन संख्या 2240252/2180095, पैन संख्या- DHIPS0072J)
 वार्ड-05, ग्राम-मंजुरा, पो0-लगमा, जिला-मुंगेर, बिहार, पिन-811213 को सूचनार्थ प्रेषित।

अभियंता प्रमुख
 ५२.

निबंधित